151

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 776—दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—01—2005 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 140/1997—98/अपील

.....

सत्यप्रकाश पुत्र नंदनप्रसाद
निवासी—ग्राम लिलोई सर्किल गोरमी,
तहसील मेंहगांव, जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

छोटीबाई बेवा भगवती प्रसाद
निवासी—ग्राम लिलोई सर्किल गोरमी,
तहसील मेंहगांव, जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदिका

.....

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

आदेश

(आज दिनांक १८.९.२०१६ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 140/1997—98/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 28—01—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम लिलोई स्थित शासकीय आराजी क्र0 565/1 रकबा 9.19 है0 भूमि का पट्टा दिये जाने का आवेदन—पत्र अनावेदिका छोटीबाई बेवा भगवती प्रसाद द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त गोरमी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त गोरमी ने अपने प्रकरण क्रमांक 40/96—97/बी—121 में पारित आदेश दिनांक 14.01.97 द्वारा शासकीय आराजी क्रमांक 565/1 रकवा 9.198 है में से

10 बीघा भूमि का पट्टा अनावेदिका छोटीबाई बेवा भगवती प्रसाद के नाम किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक सत्यप्रकाश पुत्र नंदन प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव ने अपने प्रकरण क्रमांक 73 / 96–97 / अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 15.01.98 द्वारा आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार न होने एवं अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण क्रमांक 140 / 1997–98 / अपील माल पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 28.01.2005 को आवेदक के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन एवं बलहीन मानकर खारिज की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3 / आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादिहत भूमि पर आवेदक का दिनांक 10.02.84 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है । विवादित भूमि पर वास्तविक कब्जा किस व्यक्ति का है । अधीनस्थ न्यायालय व विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व कोई जांच नहीं किया गया । अनावेदक न तो भूमिहीन है और न ही कृषि मजदूर है । वह अपने पुत्र हरीदास, रामदास व रामवीर एवं पूरन के साथ शामिल सरीक रहती है । उसके लड़के के नाम 50 बीघा जमीन मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा इश्तहार का विधिवत प्रकाशन नहीं कराया गया और न ही ग्राम पंचायत का अभिमत मंगाया गया । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया कि शासकीय भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ग्रामवासी को अपील प्रसतुत करने का अधिकार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार न मान्य करने में भूल की है । आवेदक को विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.97 की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं थी । दिनांक 03.07.97 को सर्वप्रथम नकल प्राप्त करने पर हुई । जाकनारी दिनांक से अवधि अन्दर अपील प्रस्तुत की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की अपील को तकनीकि आधार पर अवधि बाह्य मान्य करने में भूल की है । म्याद बिन्दु पर उदारदृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस बिन्दु पर विचार न करने में भूल की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध होकर निरस्तनीय है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्याालय द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया । यदि आवेदक को कोई आपत्ति थी तो वह तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता था । आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में विवादित भूमि पर पट्टे के पूर्व से उसका कब्जा इन्द्राज कागजात राजस्व में है । ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जावे ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अनावेदिका छोटीबाई ने विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त गोरमी के समक्ष विवादित भूमि पर पट्टा प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय ने इश्तहार का प्रकाशन कराया । कोई आपत्ति नहीं आने पर दयाल स्वरूप, रन्धीर, महावरी प्रसाद एवं स्वयं छोटीबाई के कथन कराये गये, तत्पश्चात् विवादित भूमि पर अनावेदिका का कब्जा सिद्ध होने की स्थिति में विधिवत आर.वी. सी.चार–3 के तहत पट्टा प्रदान किया गया। यदि आवेदक पूर्व से विवादित भूमि पर कब्तजाधारी था तो उसने बरवक्त आपत्ति क्यों नहीं उठाई और आवेदक द्वारा इस संबंध में कि विवादित भूमि पर राजस्व कागजात में उसका कब्जा अंकित है । ऐसा कोई प्रमाण न तो विचारण न्यायालय में और न ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये । अतः अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है और अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में कोई गलती नहीं की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचा हूॅ कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2005 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर